c) whether Government have taken any fresh steps to avoid damage to aircraft due to bird hits; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) Indian Airlines has suffered a loss of Rs. 7.50 crores due to bird hits during the last six months.

(c) and (d) The recommendations made by the Bombay Natural History Society to prevent bird hits are being implemented. Aircraft Rules have been amended to make penal provisions more stringent against activities in the airport environment which attract birds.

Compensation to Bhopal gas victims

851. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem captioned 'Genuine claims of victims ignored" as reported in the Indian Express of the 25th July, 1990;

(b) if so, whether Government propose to allow claims of the genuine victims of Bhopal gas disaster; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Government have seen the News item in question.

(b) and (c) All the claims filed by the victims for compensation will be considered in terms of the provisions of the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985.

Power position in the Capital

852. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether power position in the Capital was badly affected during the months of June and July this year;

(b) whether it is also a fact that the citizens of Delhi had to remain without power for more than 20 hours in a day in most of the localities;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) what action the Central Government propose to take against the DESU authorities for their failure in supplying power to the Delhi citizens during hot summer months?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (d) The power supply position in Delhi during June and July, 1990 was substantially better than in the corresponding period last year. It is not correct to say that in most of the localities citizens had to generally remain without power for long hours. The power supply to some localities was affected due to breakdown of HT supply, transformers, snapping of the conductors, fault in the cables, over-loading of the system etc. Keeping in view the extent of DESU's network, such dislocations in the power supply are unavoidable, particularly during the summer season due to the excess load. DESU, however, makes every possible effort to keep the extent of dislocation in the power supply to the minimum possible by carrying out extensive preventive maintenance and quick deployment of the breakdowns gangs for restoration of the supply in the event of a breakdown in the supply of power to any locality.

इंडियन ग्रायल लिमिटेड के बाटलिंग संयंत्रों के एल०पी०जी० सिलिंडरों की ढुलाई के लिये समान भाड़ा प्रभार

853. डा० ग्रबरार ग्रहमद खान : क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ग्रायल लिमिटेड के एल०पी०जी० बाटलिंग संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) देश भर में गैस सिलिण्डरों की ढुलाई के वास्ते ढुलाई वाहनों के लिये समान भार, समान स्थिति, समान कर तथा परिचालन व्यय के बावजूद भी इंडियन आयल लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग ढुलाई प्रभार दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सभी संयंत्रों में ढुलाई के प्रभारों की समान दरों को लागू करने का विचार रखती है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एल० गुरुपद स्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। (नीचे देखिये)

(ख) एल०पी०जी० सिलिण्डरों के परिवहन की दरों का निर्णय समय-समय पर आमंत्रित स्थान वार निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। ऐसे ठेकों का निर्णय प्रति सिलिण्डर प्रति किलोमीटर भाड़ा के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक बाटलिंग संयंत्र से (i) राज्यीय (ii) निकटवर्ती राज्यों और (iii) अन्य राज्यों के लिये अलग-अलग दरों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाता है। सभी मामलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उन लक्ष्यों के लिये बढ़े हुये भाड़ों का निर्णय किया जाता है जहां मार्गों पर एक्सल/लोड/व्हील बेस संबंधी प्रतिबंध लागू होती है। उसी राज्य के अन्दर भी, राज्यीय दरों के आधार पर परिकल्पित बेक-ईवन दूरी के अन्दर लक्ष्य के लिये न्यूनतम भाड़े निर्धारित किये जाते हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति के आधार पर कुछ बाटलिंग संयंत्र से प्रेषण के लिये भी भाड़े की दरें अलग-अलग होती हैं।

(ग) यातायात की मात्रा, भार का आकार/प्रकार अंतर्राज्यीय संचलन, आदि जैसी प्रचालनगत परिस्थितियों में अन्तर होने के कारण एल०पी०जी० सिलिण्डरों के परिवहन के लिये एक समान दरें लागू करना व्यवहारिक नहीं है।

विवरण

इण्डियन आयल कारपोरेशन के बाटलिंग संयंत्रों का स्थान

क्रम सं०	स्थान
1	कानपुर
2	मथुरा
3	जालन्धर
4	इलाहाबाद
5	सवाईमाधोपुर
6	दिल्ली
7	करनाल
8	हल्द्वानी
9	अजमेर
10	बड्डी
11	हरिद्वार
12	कटारिया
13	बोंगाईगांव

क्रम सं०	स्थान
14	दुर्गापुर
15	जमशेदपुर
16	बालाशोर
17	गोहाटी
18	हल्दिया
19	बरौनी
20	राजकोट
21	हाजिरा
22	भोपाल
23	कोयाली
24	बंगलौर
25	सलेम
	इंडियन आयल कारपोरेशन से संयोजित संयंत्र
26	कोचीन रिफाइनरीज लि०, कोचीन
27	मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास
28	आयल इंडिया लि०, डुलियाजान

मानव अंगों की बिक्री

854. **डा० अनवार अहमद खान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 19 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इण्डिया टुडे" के 15–31 जुलाई, 1990 के अंक में प्रकाशित उस उल्लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि मानव शरीर के अंगों जैसे गुर्दों, आंख, और खाल आदि का व्यापार हो रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यापार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो गुर्दों और आंखों की खरीद फरोक्त में शामिल थे, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उन डाक्टरों को जो गुर्दे का प्रत्यारोपण करते हैं तथा उन अस्पतालों जहां गुर्दे का प्रत्यारोपण किया जाता है लाइसेंस देने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार के पास उन विदेशियों शियों का कोई लेखा-जोखा है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में गुर्दों का प्रत्यारोपण कराया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सरकार ने 15–31 जुलाई, 1990 के "इंडिया टुडे" अक में छपा लेख देखा है और उसे मानव अंगों के अवैध रूप से हो रहे व्यापार की जानकारी है। मानव अंगों के व्यापार को विनियमित करने की दृष्टि से सरकार अब विस्तृत कानून बनाने पर विचार कर रही है जो देश भर में लागू होगा। इस प्रस्तावित कानून में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को मानव अंगों को हटाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे वाले अस्पतालों को